झाँसी नगर निगम,झाँसी।

हरित झाँसी | स्वच्छ झाँसी

ई–निविदा सूचना

निर्माण कार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई–निविदा पद्धति से ई–टेण्डरिंग की बेवसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार निविदा आंमत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि http://jnnjhansi.procure247.com बेवसाइट के माध्यम से आनॅलाइन जमा की जायेगी :–

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने / डाउनलोड / खरीदनेकी तिथि	**29.07.2025 3.00 PM**	**18.08.2025 3:00 PM**
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	**18.08.2025 3:00 PM**
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	**18.08.2025 3:30 PM**	

नोट–

1. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्ते नगर निगम,झाँसी की बेवसाइट **www.jnnjhansi.com**में देखी जा सकती है।
2. निविदादाता को बेवसाइट **http://etender.up.nic.in**में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
3. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा।(क्रम सं0 01 से 04 हेतु)
4. ई–निविदा में कोई भी संशोधन / परिमार्जन / परिवर्तन की सूचना को बेवसाईट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
5. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

1109 मुख्य अभियन्ता | नगर आयुक्त

पत्रांक :– / जनकार्य वि0 / न0नि0 / 2023–24 | दिनांक :– 23.07.25

प्रतिलिपि :–

1. विज्ञापन व्यवस्थापक अमर उजाला / उद्योग व्यापार ..,दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम,झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. नाजिर / प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम,झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
5. आई0टी0एक्सपर्ट,नगर निगम,झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम,झाँसी।

23-7-25

23/07/25 अमर उजाला

झाँसी नगर निगम,झाँसी।

हरित झाँसी | स्वच्छ झाँसी

ई–निविदा सूचना

निर्माणकार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्यों हेतु द्वि–निविदा पद्धति से ई–टेण्डरिंग की बेवसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार निविदाआंमन्त्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट http://jnnjhansi.procure247.com के माध्यम से आनॅलाइन जमा की जायेगी :–

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	**29.07.2025 3.00 PM**	**18.08.2025 3:00 PM**
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	**-**	**18.08.2025 3:00 PM**
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	**18.08.2025 3:30 PM**	

कार्य का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	वार्ड नं0 13 कोछा भांवर में राजा यादव के मकान से हरिशंकर के घर होते हुये शिव मन्दिर तक नाली एंव सड़क निर्माण का कार्य।	4499685.00	5000.00+18.00 % GST	425000.00	चार माह	ऐ श्रेणी
2.	वार्ड नं0–24 सिमराहा में मातादीन राय के मकान से सुरेश पाल के मकान तक एवं सरन राय के मकान से एवं राजेन्द्र राय के मकान से जगत सिंह यादव के मकान तक एवं स्वामी महाराज के मकान से राकेश राय के मकान होते हुए पवन डिस्क वाला, सुशील परमार, सुन्दर प्रजापति, ग्यादीन प्रजापति के मकान से होते हुए कैलाश भगत जी से मुन्ना कुशवाहा तक नाली पुलिया एपैक्स सड़क निर्माण का कार्य।	6833117.00	6835.00+18.00 % GST	541700.00	चार माह	ऐ श्रेणी
3.	वार्ड नं0 31 लहरगिर्द में मलखान सिंह के घर से सुनील कुमार के घर तक रवि यादव के मकान से विश्वजीत सिंह गौतम के मकान तक एवं आराजी सं० 330 बाउण्ड्रीवॉल के सामने से मनोज राय के मकान तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।	6837635.00	6840.00+18.00 % GST	541900.00	चार माह	ऐ श्रेणी
4.	वार्ड न0 22 संजय कॉलोनी में रवि सिंह के मकान से अमित गुप्ता के मकान होते हुए कैलाश नारायण श्रीवास के मकान तक एवं देवेन्द्र नामदेव से अर्जुन यादव तक एवं इन्द्रपाल से रामपाल यादव के मकान तक नाली, पुलिया एवं एपेक्स निर्माण कार्य	4226278.00	4230.00+18.00 % GST	411400.00	चार माह	ऐ श्रेणी
5.	वार्ड नं0 05 ईसाईटोला सुम्मेरनगर में वेदप्रकाश के मकान से बाबूलाल हवलदार के मकान तक, अख्तर के मकान से प्रमोद सोनू के मकान तक एवं परमानन्द प्रजापति के मकान से राजकुमार के मकान तक एपैक्स सड़क नाली पुलिया निर्माण कार्य।	2591699.00	2595.00+18.00 % GST	259200.00	चार माह	ऐ श्रेणी
6.	वार्ड नं0 39 दतिया गेट बाहर फेन्ड्स कालौनी से लेकर सरोज कुमारी तक विनोद साहू के मकान से राम नारायण कुशवाहा के मकान तक नाली एंव सड़क निर्माण का कार्य।	3365951.00	3370.00+18.00 % GST	336600.00	चार माह	ऐ श्रेणी
7.	वार्ड नं0 01 हंसारी के अन्तर्गत प्रागीलाल के मकान से बॉबी यादव के मकान होते हुए सोनू यादव एवं सन्तोष ग्वाला के मकान तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	2894822.00	2895.00+18.00 % GST	289500.00	चार माह	ऐ श्रेणी

8.	वार्ड नं0 41 नन्दनपुरा के अन्तर्गत बालाजी बैग से चन्द्रभान के मकान तक एवं अनिल के मकान से उमाशंकर के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2230506.00	2235.00+18.00 % GST	223100.00	चार माह	ऐ श्रेणी
9.	वार्ड नं0 29 हरदौल में मोहन साहू के मकान से के० के० श्रीवास्तव, नरेन्द्र रायकवार के मकान तक नाली, पुलिया, एपैक्स निर्माण का कार्य।	1343359.00	1345.00+18.00 % GST	134400.00	तीन माह	ऐ श्रेणी

नोट–

1. निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
2. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट **www.jnnjhansi.com**में देखी जा सकती है।
3. निविदादाता को **http://etender.up.nic.in**में ई–टेण्डर में पंजीकृत होना है।
4. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमन्य होगा।
5. ई–टेण्डरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भां ति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
6. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
7. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
8. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
9. प्रत्येक निविदादाता रू0 100/– के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि **http://jnnjhansi.procure247.com** के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
12. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश सं0 11593/नौ–5–2021–142सा/2021 नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।(प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
14. जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
15. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय–समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे–खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम,झाँसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. शासनादेश सं0 3890/नौ–5–19–149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
18. ई–निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाईट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर प्रश्नगत् कार्य की निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
20. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
21. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से संम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गो की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तो का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट से लोड किया जा सकता है। **https://etender.up.nic.in**
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

24. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ–5–2017–120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख–रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
26. कार्य शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रथम न्यूनतम् निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
27. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे प्रथम न्यूनतम् निविदादाता द्वारा क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
28. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
29. कार्य के साथ निर्गत कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
30. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे है, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
31. निविदादाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई–मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगें।
32. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय–समय पर जारी किए जाएंगे।
33. अन्य विवरण निविदा शर्तो में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी निविदादाता को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता निविदादाता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायीं नही होगा। निविदा से संबन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाईट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
34. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
35. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
36. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा।
37. मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कर्या सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदुषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
38. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
39. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणं की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
41. निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यो को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण/ए–श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
42. पी0डब्लू0डी0 के **Model Bidding Document for construction of roads** के सेक्शन–2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि **"if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit."** के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

तकनीकी बिड हेतु अनिवार्य अभिलेखः–क्र0सं0–01 से 04 पर अंकित कार्य द्वि–निविदा पद्धति से किये जाने है।

1. विगत पांच वर्षों का औसत टर्नओवर जो आंगणन राशि के 30 प्रतिशत से अधिक का हो, का प्रमाण–पत्र।
2. विगत 07 वर्षों में आंगणन मूल्य के 40 प्रतिशत मूल्य के 03 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा गत् 07 वर्षों में आगणन मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य के 02 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम नहीं द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा गत् 07 वर्षों में आंगणन मूल्य के 80 प्रतिशत मॅलय के 01 समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।
3. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम झांसी में उक्त फर्म के नाम कोई भी कार्य लम्बे समय से लम्बित/अनारम्भ होने का प्रमाण–पत्र(मा0 न्यायालय विवाद के कार्यों को छोड़कर) संलग्न करना होगा।

4. हाटमिक्स प्लांट से सड़क सुधार के कार्यों के लिए निर्धारित सीमा में हाटमिक्स प्लांट का नियमानुसार स्वामित्व होना अनिवार्य है, जिसका सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
5. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना (एक सिविल डिग्री धारक एवं दो सिविल डिप्लोमा धारक) विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
6. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणों हाटमिक्स प्लांट ,एयर कम्प्रेशर, बाईब्रेटर, रोलर, टिपर,विटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर ,टार वायलर, कंक्रीट मिक्चर , वाटर टैंकर ,ट्रेक्टर, ट्रक, मेक्निकल ब्रूम आदि की उपलब्धता यथाआवश्यक का सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. बिड कैपेसिटी निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. **One-going works** अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया गया निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा के समय जमानत धनराशि (Earnest Money) को शासनादेश सं0 08 / 2017 / 836 / 23–7–17–176(सा0) / 06 दिनांक 08.06.2017 के अनुसार निविदा के समय जमा करायी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता　　　　　　　　　　नगर आयुक्त

पत्रांक :– 1109 / जनकार्य वि0 / न0नि0 / 2025–26　　　　दिनांक :–23 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला / दैनिक उद्योग हकिकत, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम,झॉसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. नाजिर / प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम,झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
5. आई0टी0एक्सपर्ट,नगर निगम,झॉसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम,झाँसी।